

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 173/2021

तारीख रजू 01.04.2021

मनोहर पुत्र बंदी जाति बैरवा निवासी ग्राम मेईखुर्द तह० खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोंड

निर्णय

दिनांक 28/1/21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 121/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मेईखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 582/13 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजड पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 582/13 रकबा 2.00 बीघा किस्म बंजड पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकी प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है यदि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करता। यह भी निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

वकील पुराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी अपीलान्ट को स्वयं को तामील करवाई गई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी स्वयं अपीलान्ट को स्वयं को तामील करवाई गई अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस, फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंगन नहीं होने के कथन से मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2.8.12 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकनील दाखिल दफ्तर हो।

  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर